भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

सहायक प्रबंधक
Assistant Manager
निगम वित्त विभाग / **CORPORATION FINANCE DEPARTMENT**
निगम पुनर्संरचना प्रभाग / **DIVISION OF CORPORATE RESTRUCTURING**
दूरभाष सं. / **Tel. 022 - 26449247**
ई-मेल / **E-mail - abhishek@sebi.gov.in**

SEBI/HO/CFD/DCR1/OW/P/017824 / 2018
June 22, 2018

Mr. Vishal Kanjani
ICICI Securities Ltd.
ICICI Centre, HT Parekh Marg,
Churchgate,
Mumbai-400020

महोदय ,
Sir,

विषय / Sub: Open offer for shares of Merck Ltd. के शेयरों हेतु खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर)

1. आप कृपया अपने तारीख / के पत्र का संदर्भ लें, जिसके अंतर्गत आपने अन्य बातों के साथ-साथ खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए और समय माँगा है, क्योंकि आपको अभी तक सीसीआई तथा डी ओ पी की मंजूरी नहीं मिली है / This is with reference to your letter dated June 19,2018 ,inter alia, requesting for extension of time to proceed with the open offer formalities pending receipt of CCI & DoP approvals.

2. खुले प्रस्ताव के तहत शेयर सौंपे जाने की अवधि (टेंडरिंग पीरियड) सीसीआई तथा डी ओ पी से मंजूरियाँ मिलने की तारीख से बारह कार्य-दिवसों के भीतर ही शुरू हो जाए। जो सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) खुले प्रस्ताव के तहत अपने इक्विटी शेयर सौंप दें और जिनके शेयर स्वीकार हो जाएँ, उन सभी को भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर [अर्थात् शेयर सौंपे जाने की अवधि (टेंडरिंग पीरियड) की अंतिम तारीख से दस कार्य-दिवसों के भीतर] कर दिया जाए, बशर्ते कि अर्जनकर्ता भुगतान में की गई देरी के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करे।
The tendering period for the Open Offer may commence not later than twelve working days from the receipt of CCI and DoP approvals. The payment to all successful Public Shareholders who tender their Equity Shares in the Open Offer, shall be made within the specified timeframe of ten working days from the last date of the tendering period subject to the acquirer paying interest for the said delay @ 10% p.a.

3. आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 [सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 30 के अनुसार उपरोक्त पत्र की विषय-वस्तु से स्टॉक एक्सचेंजों को तत्काल अवगत कराएँ (डिस्क्लोज़ करें)।

सेबी भवन, प्लॉट सं. सी 4-ए, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
दूरभाष : 2644 9950 / 4045 9950 (आई.वी.आर. एस.), 2644 9000 / 4045 9000 फैक्स : 2644 9019 से 2644 9022 वेब : www.sebi.gov.in

SEBI Bhavan, Plot No. C4-A, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Tel.: 2644 9950 / 4045 9950 (IVRS), 2644 9000 / 4045 9000 Fax : 2644 9019 to 2644 9022 Web : www.sebi.gov.in

You are advised to disclose the contents of the aforesaid letter to the Stock Exchanges in accordance with Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, immediately.

4. आप उपरोक्त का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करें।
You are advised to ensure compliance of the above and make necessary disclosures.

भवदीय / Yours faithfully

Abhishek Kothari

अभिषेक कोठारी